

धारा 63 : अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण

धारा 73 या धारा 74 ¹[या धारा 74क] में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किन्तु जो कर संदाय करने का दायी था, वहां समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि और उपलब्ध तात्त्विक सामग्री या उस सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिससे असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगा :

परन्तु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

उपयुक्त नियम: नियम 100

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी एएसएमटी-14, जीएसटी एएसएमटी-15

¹ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।